Title: Need to formulate a policy for prevention of misuse of mobile telephone services by school children, to prevent recurrence of the incident as witnessed in a Delhi School in the recent days.

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्री यहां मौजूद हैं। एक-डेढ़ महीने पहले समाज पर कलंक लगाने वाली जो घटना दिल्ली में हुई, मैंने उसे इंटरनैट से डाउनलोड किया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में ग्यारहवीं क्लास के दो बच्चों ने सैक्स स्कैंडल किया। उसकी सैक्स क्लीपिंग सिर्फ भारत में नहीं सिंगापुर, अमेरिका और यूरोप में बांटी गई हैं। मंत्री जी यहां मौजूद हैं। लड़की एक्स आर्मी मैन की बेटी थी और लड़का बहुत ही वैल्दी फैमिली से था। मैं यहां एक बात कोट करना चाहता हूं। दिल्ली एजुकेशन एक्ट 1973 के तहत गवर्नमैंट ऑफ इंडिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिस में हाई टैक्नॉलोजी इक्विपमैंट्स जैसे मोबाइल या वीडियो कैमरा जिस का एजुकेशन से कोई संबंध नहीं है, ले जाने पर बैन हो। इन्हें बैन करने का प्रावधान इसमें नहीं है। एक बार किसी स्कूल की प्रिंसिपल के रिटायर होने के बाद किसी प्रकार का एक्सटैंशन देना भी नियमों के खिलाफ है लेकिन हाई स्ट्रैचर दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो इंटरनेशनल सैक्स स्कैंडल हुआ, उस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल पिछले तीन सालों से इल्लिगल एक्सटैंशन पर है। एक्सटैंशन देने के लिए क्लॉज है कि जिस को नेशनल एवार्ड या स्टेट एवार्ड मिला है, केवल उसी को एक्सटैंशन दिया जा सकता है। जिन को किसी प्रकार का â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: There should be no allegation against an individual.

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं। मानव संसाधन विकास मंत्री जी को एक कमेटी बना कर इस मामले की जांच करानी चाहिए जिससे पूरा समाज इस कलंकित दायरे में आगे खड़ा न हो। ऐसे मामले दोबारा नहीं होने चाहिए। Accordingly, the policy should be changed to curtail, curb and stop this illegal practice from the education system.